"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 661] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 14 अगस्त 2025 — श्रावण 23, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2025

आदेश

क्रमांक एफ 1–1/2025/रास/निजी/यू–16.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाध्यक्ष, आंजनेय विश्वविद्यालय, ग्राम–नरदहा, रायपुर द्वारा Dr. T. Rama Rao, Vice-Chancellor, Anjaneya University, Raipur (C.G.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आंजनेय विश्वविद्यालय, ग्राम–नरदहा, रायपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है।

2. Dr. T. Rama Rao का कार्यकाल, उपलब्धियाँ तथा सेवा शर्ते उक्त अधिनियम, परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी।

हस्ता./–

(सी.आर. प्रसन्ना)
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.